न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 21/2020

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
1. ओमप्रकाश पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी एवाद जिला नागौर हाल बलदेव नगर तहसील बाड़मे जिला बाड़मेर (मैसर्स शक्ति टी कम्पनी बलदेव नगर बाड़मेर जिला बाड़मेर का मालिक)
2. रिषभ जैन पुत्र प्रेमचन्द जैन निवासी 21 रिद्धिसिद्धि एनक्लेव कुन्हाड़ी कोट (मैसर्स रिषभ एन्टरप्राईजेज का सोल प्रोपराईटर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 15.02.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स शक्ति टी कम्पनी बलदेव नगर बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **19.06.2019** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **वनस्पति ब्राण्ड श्री गोवर्धनजी (500ग्राम)** जो कि एक बाक्स में अलग–अलग मात्रा में भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार दो किलोग्राम 500–500 ग्राम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 18:04:44 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

कुल चार डिब्बे **वनस्पति ब्राण्ड श्री गोवर्धनजी (500ग्राम)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1040** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **वनस्पति ब्राण्ड श्री गोवर्धनजी (500ग्राम)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **वनस्पति ब्राण्ड श्री गोवर्धनजी (500ग्राम)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि मैंने उक्त खाद्य पदार्थ सील पैक/कार्टून डिब्बा कम्पनी/उत्पादक से खरीदा है जिस मूल अवस्था में खरीदा उसी अवस्था में बेचा है। मेरे द्वारा सिर्फ ट्रेडिंग का ही व्यापार किया जाता है तथा इसमें भूलवश गलती हो गई है तो क्षमा करें। भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा तथा इस प्रकरण में जो अर्थदण्ड होगा उसका तुरन्त भुगतान कर दूंगा। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रकरण में मेरे पिता को पक्षकार बनाया जाकर नोटिस दिया गया है जिनका दिनांक 30.10.2019 को देहान्त हो गया है। अतः उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निस्तारित करने का आदेश फरमावें।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूने की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 04.07.2019 की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद में प्रतिरक्षण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 18:04:44 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया है। अप्रार्थी संख्या 2 मैसर्स रिषभ एन्टरप्राईजेज की ओर से रिषभ जैन ने उपस्थित होकर प्रकट किया है कि उनके पिता के नाम नोटिस जारी किया गया है तथा उनके पिता का देहान्त हो जाने से प्रकरण का निस्तारण किया जावे। इसके अलावा यह प्रकट नहीं किया कि उक्त प्रकरण मैसर्स रिषभ एन्टरप्राईजेज के विरूद्ध होने एवं उसका विघटन होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है ऐसे में यह प्रकरण प्रोपराईटर के फौत होने से उपशमन नहीं हो जाता है। जहां तक अप्रार्थी संख्या 1 का प्रश्न है उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कोई ठोस जवाब एवं प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे जाहिर हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना मिथ्याछाप पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नहीं है। ऐसे में अप्रार्थी संख्या 2 को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक स्तर पर समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नही करना उसकी भी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 50,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 15.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 18:04:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर